तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पुखराज बनाम लो.सू.अ. (अपर जिला कलक्टर जोधपुर व अन्य) सू.अ.अ. अपील संख्या 200/2020	

23.11.20

अपीलार्थी पुखराज, पता खाबड़ा खूद्र तहसील औसियां ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 09.09.20 में उसके द्वारा (1) आपके कार्यालय में सूचना दिनांक 12.06.2020 रजि. नं. RR987687749IN IVR8282987687749 भेजकर मांगी गई थी। उक्त सूचना प्रार्थना पत्र पर आपके द्वारा क्या कार्यवाही की गई व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी लूणी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर जोधपुर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी लूणी) से आदिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई तथा अपर जिला कलक्टर जोधपुर से पत्रांक 971 दिनांक 27.10.20 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया गया कि शाखा में संधारित दायर रजिस्टर में अवलोकन करने पर अपीलार्थी का वांछित आवेदन पत्र दर्ज होना नहीं पाया गया तथा आवक पंजिका का भी अवलोकन करने से यह प्रार्थना पत्र प्राप्त होना नहीं पाया गया। अपील के संलग्न सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र लोक सूचना अधिकारी (जिला कलक्टर जोधपुर) प्रेषित किया गया, उसकी प्रति संलग्न की है जबकि अपील उपखण्ड अधिकारी लूणी के विरुद्ध [illegible] गई है। अतः अपील अस्पष्ट है फिर भी न्यायहित में लोक सूचना [illegible]कारी (उपखण्ड अधिकारी लूणी) को निर्देशित किया जाता है कि [illegible] दिवस में सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं [illegible] से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ [illegible] पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anop Singh Ind
Date: 2020.12.16 15:35:08 IST
Reason: SelfAttested